रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16112021-231169
CG-DL-E-16112021-231169

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 566] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 16, 2021/कार्तिक 25, 1943
No. 566] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 16, 2021/KARTIKA 25, 1943

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2021

फा. सं. एन-12/13/01/2019-यो. एवं वि.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने क.रा.बी.अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' को अधिनियम की धारा 2(9) के अंतर्गत व्याप्त कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपाय के रूप में भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग ।।। खण्ड-4 (क्रम सं. 469) दिनांक 06.12.2018 में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया जो दिनांक 01.07.2018 से 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी थी। इस योजना को दिनांक 24.03.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि की पात्रता शर्तों में शिथिलता के साथ दिनांक 01.07.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि के लिए भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग ।।। खण्ड-4 (क्रम सं. 436), दिनांक 16.10.2020 में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से विस्तारित किया गया। पात्रता शर्त तथा अन्य शर्तों में दिनांक 01.01.2021 से 30.06.2021 तक की अवधि के लिए शिथिलता भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग ।।। खण्ड-4 (क्रम सं. 146), दिनांक 06.04.2021 में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से विस्तारित की गई।

इस योजना को दिनांक 01.07.2021 से 30.06.2022 तक की अवधि के लिए शिथिल पात्रता तथा अन्य शर्तों पर आगे विस्तारित किया गया तथा आशय अधिसूचना भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग ।।। खण्ड-4 (क्रम सं. 329), दिनांक 13.08.2021 में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से जारी की गई।

अब कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने बेरोजगारी से पूर्व 2 वर्ष बीमायोग्य रोजगार की पात्रता शर्त तथा अंशदायी शर्त को आगे दिनांक 01.07.2021 से प्रभावी करते हुए निम्नानुसार शिथिल करने का निर्णय किया है :-

"बीमाकृत व्यक्ति अपनी बेरोजगारी से तुरंत पूर्व न्यूनतम 12 माह की अवधि के लिए बीमायोग्य रोजगार में हो तथा बेरोजगारी से तुरंत पूर्ववर्ती 12 माह में एक पूर्ण अंशदान अवधि में कम से कम 78 दिनों का अंशदान दिया हो।"

अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर, इसके संबंध में किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त होने पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा विचार किया जाएगा। आपत्तियाँ अथवा सुझाव, यदि कोई हों, तो उन्हें श्री एस. बिस्वास, बीमा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली 110002 को संबोधित किया जाए। (ईमेल पता : *dir-pnd@esic.nic.in*)

एस. बिस्वास, बीमा आयुक्त (यो. एवं वि.)

[विज्ञापन-III/4/असा./427/2021-22]

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2021

F. No. N-12/13/01/2019-P&D.—In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (1) of section 97 of the Employees' State Insurance Act 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation had notified 'Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana' under Section 19 of ESI Act as a welfare measure for employees covered under Section 2(9) of the Act, vide notification published in Gazette of India (Extraordinary) Part III Section – 4 (Sl. No. 469) dated 06.12.2018 for a period of 2 years w.e.f. 01.07.2018. The scheme was extended for period 01.07.2020 to 30.06.2021 along with relaxation in the eligibility conditions for period 24.03.2020 to 31.12.2020 vide notification published in the Gazette of India, (Extraordinary), Part III – Section - 4 (Sl. No 436) dated 16.10.2020. Relaxation in eligibility condition and other condition was extended for period 01.01.2021 to 30.06.2021 vide notification published in the Gazette of India (Extraordinary) Part III Section - 4 (Sl. No. 146) dated 06.04.2021.

The scheme was further extended for period 01.07.2021 to 30.06.2022 on relaxed eligibility and other condition & intent notification issued vide notification published in the Gazette of India (Extraordinary) Part III Section - 4 (Sl. No. 329) dated 13.08.2021.

Now the Employees' State Insurance Corporation has decided to further relax the eligibility condition of 2 years insurable employment before unemployment and contributory condition effective from 01.07.2021 as under:-

"The Insured Person should have been in insurable employment for a minimum period of 12 months immediately before his/her unemployment and should have contributed for not less than 78 days in the one completed contribution period in 12 months immediately preceding to unemployment."

Any objection or suggestions, which may be received from any person in respect of notification within a period of thirty (30) days from the date of publication, will be considered by the Employees' State Insurance Corporation. The objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri S Biswas, Insurance Commissioner, Employees' State Insurance Corporation, Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi 110002, (*e-mail Id: dir-pnd@esic.nic.in*).

S. BISWAS, Insurance Commissioner (P&D)

[ADVT.-III/4/Exty./427/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.11.16 16:39:53 +05'30'